श्रीछ:न्याति ब्राह्मण छात्रसदन एवं अतिथिगृह प्रन्यास, बीकानेर

यह प्रन्यास डीड पंजिकृत करवाये जाने के लिये श्रीछ:न्याति ब्राह्मण महासंघ, बीकानेर कार्यकारिणी द्वारा बैठक दिनाँक 10-09-22 को श्री भंवरलाल व्यास सुपुत्र श्री लाधुराम जी व्यास उम्र 70 साल जाति ब्राह्मण निवासी पारीक चोक बीकानेर को अधिकृत किया है, जिसकी पालना में यह प्रन्यास नियमावली को पंजिकृत करवाई जा रही है । यह नियमावली श्रीछ:न्याति ब्राह्मण महासंघ विधान एवं नियमावली के नियम 19(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनायी गयी है।

नियमावली

(1) **प्रन्यास का नाम, पता एवँ कार्यक्षेत्र :-**

(क) इस प्रन्यास का नाम श्रीछ:न्याति ब्राह्मण छात्रसदन एवं अतिथिगृह प्रन्यास, बीकानेर होगा ।

(ख) प्रन्यास का पता गोरव पथ, त्रिवेणी संगम, जयपुर रोड., बीकानेर होगा ।

(ग) प्रन्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बीकानेर सम्भाग होगा ।

(2) **उद्देश्य:-** महासंघ के विधान एवं नियमावली को सर्वोपरी रखते हुए छात्रसदन एवं अतिथिगृह के (क) संचालन, (ख) परिरक्षण, (ग) परिवर्धन, (घ) अर्थप्रबन्धन एवं उचित रखरखाव के लिए यह नियमावली है जिसके अंतर्गत एक प्रन्यास एवं एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जाएगा।

उप पंजीयक (द्वितीय), पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर

(3) **प्रन्यास का गठन:-**इस नियमावली के अधीन एक प्रन्यास का गठन किया जायेगा। इस प्रन्यास की बैठक प्रत्येक 6 महिने में एक बार

किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रन्यास का गठन निम्न प्रकार के सदस्यों से होगाः-

(a) स्थायी न्यासी एवं (b) निर्वाचित न्यासी

(4) **स्थायी न्यासीः-** स्थायी न्यासी तीन प्रकार के होंगेः-

(a) **आजीवन स्थायी न्यासीः-** छात्रसदन एवं अतिथिगृह के निर्माण में रू.2,01,000/- (रू. दो लाख एक हजार) का सहयोग देने वाले छःन्याति व्यक्ति को प्रन्यास में आजीवन स्थाई न्यासी होने का अधिकार होगा। ये महासंघ महासमिति एवं महासंघ संरक्षक मण्डल के भी सदस्य होंगे।

(b) **उत्तराधिकार प्राप्त स्थाई न्यासीः-** छात्रसदन एवं अतिथिगृह के निर्माण में रू.5,01,000/- (रू.पाँच लाख एक हजार) का सहयोग देने वाले छःन्याति व्यक्ति को उत्तराधिकार प्राप्त स्थाई न्यासी होने का अधिकार होगा। उनके द्वारा नामित व्यक्ति या उनका एक विधिक उत्तराधिकारी उनके जीवनकाल के पश्चात उनके स्थान उत्तराधिकार प्राप्त स्थाई न्यासी बन सकेगा। ये महासंघ महासमिति एवं महासंघ संरक्षक मण्डल के भी सदस्य होंगे।

(c) **प्रबन्धकारिणी सदस्य स्थायी न्यासीः-** छात्रसदन एवं अतिथिगृह के निर्माण में रू.11,01,000/-(रू.ग्यारह लाख एक हजार) का सहयोग देने वाले छःन्याति व्यक्ति को उत्तराधिकार प्राप्त स्थाई न्यासी होने के साथ साथ सीधे प्रबन्धकारिणी में स्थाई सदस्य होने का अधिकार होगा। ये महासंघ महासमिति एवं महासंघ संरक्षक मण्डल के भी सदस्य होंगे।

स्पष्टीकरण(i) यदि किसी परिवार में एक से अधिक पारिवारिक सदस्य मिलकर 2,01,000/- 5,01,000/- 11,01,000/-(दो लाख एक हजार/ पाँच लाख एक हजार/ ग्यारह लाख एक हजार) रूपये की सहयोग राशि देते हैं तो उनके द्वारा नामित किसी एक व्यक्ति को क्रमशः आजीवन स्थायी न्यासी/उत्तराधिकार प्राप्त स्थाई न्यासी/ प्रबन्धकारिणी सदस्य स्थायी न्यासी बनाया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण(ii) यदि छःन्याति ब्राह्मणों की किसी पंजीकृत संस्था द्वारा5,01,000/- 11,01,000/-(पाँच लाख एक हजार/ ग्यारह लाख एक हजार) रूपये की सहयोग राशि दी जाती है तो उस संस्था एवं अध्यक्ष को पदनाम से क्रमशः हमेशा के लिए स्थाई न्यासी/

Presentation Endorsement

आज दिनांक 22 माह 11 सन् 2022 को 12:02 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SHREE CHHANYATI BRAHMAN CHHATRASADAN EVAM ATITHIGRIHA PRANYAS BIKANER TH PRESIDENT BHANWAR LAL VYAS पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LADHU RAM
उम्र 70 वर्ष, जाति 0-VYAS , व्यवसाय Other
निवासी House No.:-, Colony: BHAIRU JI MANDIR KE PASS NAYA SHAHAR PAREEK CHOWK BIKANER, Area: -, City: BIKANER, Pin code: 334001, District: BIKANER, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
BIKANER-II

202201057013746

Declaration of Trust - where there is disposition of property,- where the trust is made for a religious or charitable purpose

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202202057014079
दिनांक	22-11-2022
पंजीयन शुल्क ₹	110
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	17
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	6
कुल योग	**333**

202201057013746

उप पंजीयक, BIKANER-II

Declaration of Trust - where there is disposition of property,- where the trust is made for a religious or charitable purpose

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 68732046 ₹ 333

Endorsement of Execution

प्रबन्धकारिणी सदस्य स्थायी न्यासी बनाया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण(iii) यदि कोई अकेला छःन्याति व्यक्ति या उसके परिवार के कुछ सदस्य मिलकर बडे हॉल या किसी ब्लॉक(फ्लोर/मंजिल/तल) का सम्पूर्ण निर्माण व्यय महासंघ को देते हैं तो उन्हें बडे हॉल या उस ब्लॉक/फ्लोर/मंजिल यातल का नामकरण अपने किसी बुजुर्ग के नाम पर करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही जिस परिवार सदस्य के नाम से जितनी राशि की रसीद जारी की जायेगी उसे तदनुरूप पद व अधिकार होंगे।

स्पष्टीकरण(iv) यदि किसी कम्पनी या संस्थान द्वारा CSR FUND (Corporate Social Responsibility Fund) में से महासंघ को दान दिया जाता है तो ऐसे दान को प्रेरित करने वाले छः न्याति बन्धुओं को, महासंघ कार्यकारिणी के लिखित प्रस्ताव के बाद, दान दिलायी गई राशि की मात्रा के अनुसार आजीवन न्यासी/ उत्तराधिकार प्राप्त स्थायी न्यासी/ प्रबंधकारिणी सदस्य स्थायी न्यासी बनाया जा सकेगा।

(5) **निर्वाचित न्यासीः-** निर्वाचन के द्वारा भी निर्वाचित न्यासी सदस्य बनाये जा सकेंगे। जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।इसके लिए महासंघ द्वारा करवाये जा रहे छात्रसदन एवं अतिथिगृह के निर्माण में किये गये आर्थिक सहयोग की मात्रा के आधार पर उनके **निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधित्व की संख्या तय होगी जो निम्न** प्रकार से है:-

(a) **व्यापक निर्वाचक मण्डलः**-छात्रसदन एवं अतिथिगृह के निर्माण में रूपये ग्यारह हजार मात्र का सहयोग देने वाले छःन्याति बन्धु को व्यापक निर्वाचक मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा। इस निर्वाचक मण्डल में प्रत्येक जीवित 50 सदस्यों द्वारा एक न्यासी को निर्वाचित करने का अधिकार होगा।

(b) **विशेष निर्वाचक मण्डलः**-छात्रसदन एवं अतिथिगृह के निर्माण में रूपये इक्यावन हजार मात्र का सहयोग देने वाले छःन्याति व्यक्ति को विशेष निर्वाचक मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा। इस निर्वाचक मण्डल में प्रत्येक

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SHREE CHHANYATI BRAHMAN CHHATRASADAN EVAM ATITHIGRIHA PRANYAS BIKANER TH PRESIDENT BHANWAR LAL VYAS , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LADHU RAM , व्यवसाय Otherजाति 0-VYAS House No.:-, Colony: BHAIRU JI MANDIR KE PASS NAYA SHAHAR PAREEK CHOWK BIKANER, Area: -, City: BIKANER, Pin code: 334001, District: BIKANER, State: RAJASTHAN		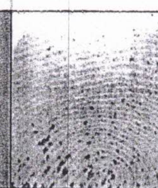	Executant Age : 70 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SHREE CHHANYATI BRAHMAN CHHATRASADAN EVAM ATITHIGRIHA PRANYAS BIKANER TH TRUSTEE KHETA RAM TAWNIA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HIMMTA RAM TAWANIA, व्यवसाय Otherजाति 0-TAWANIA House No.:-, Colony: 20 NARENDRA BHAWAN KE PASS LALGARH PLACE GANDHI COLONY BIKANER, Area: -, City: BIKANER, Pin code: 334001, District: BIKANER, State: RAJASTHAN			Executant Age : 72 Signature :
3	श्री/श्रीमती/सुश्री SHREE CHHANYATI BRAHMAN CHHATRASADAN EVAM ATITHIGRIHA PRANYAS BIKANER TH TRUSTEE PARASAR NARAYAN , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KISHORI LAL SHARMA , व्यवसाय Otherजाति 0-SHARMA House No.:-, Colony: 10 SAGAR ROAD LAXMI VIHAR COLONY BIKANER, Area: -, City: BIKANER, Pin code: 334001, District: BIKANER, State: RAJASTHAN			Executant Age : 65 Signature :

ने लेख्यपत्र Declaration of Trust - where there is disposition of property,- where the trust is made for a religious or charitable purpose को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 11000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 11000/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JAI DAYAL PANCHARIA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LAKHU RAM PANCHARIA जाति PANCHARIA Age: 64 Add: House No.:-, Colony: VISHWAKARMA GATE KE SAMNE BIKANER, Area: -, City: BIKANER, Pin code: 334001, District: BIKANER, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MOHAN LAL JAJRA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADV जाति JAJRA Age: 53 Add: House No.:-, Colony: BIKANER, Area: -, City: BIKANER, Pin code: 334001, District: BIKANER, State: RAJASTHAN			Signature

उप पजीयक (द्वितीय)
पजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर

जीवित दस सदस्यों द्वारा एक न्यासी को निर्वाचित करने का अधिकार होगा। विशेष निर्वाचक मण्डल का प्रत्येक सदस्य महासंघ महासमिति और महासंघ संरक्षक मण्डल का भी सदस्य होगा।

(c) **अति विशेष निर्वाचक मण्डल**:- छात्रसदन एवं अतिथिगृह के निर्माण में रूपये एक लाख मात्र का सहयोग देने वाले छ:न्याति व्यक्ति को अति विशेष निर्वाचक मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा। इस निर्वाचक मण्डल में प्रत्येक जीवित पाँच सदस्यों द्वारा एक न्यासी को निर्वाचित करने का अधिकार होगा। अति विशेष निर्वाचक मण्डल का प्रत्येक सदस्य महासंघ महासमिति और महासंघ संरक्षक मण्डल का भी सदस्य होगा।

(d) **संरक्षकों का निर्वाचक मण्डल**:-महासंघ द्वारा वर्ष 2015-16 में एक सौ एक संरक्षक बनाये गये थे। इन 101 संरक्षकों में से भी प्रत्येक जीवित दस संरक्षकों द्वारा एक न्यासी को निर्वाचित करने का अधिकार होगा।यदि इन संरक्षकों में से किसी संरक्षक द्वारा 2 लाख/ 5 लाख /11 लाख की धनराशि का सहयोग देकर क्रमश: आजीवन स्थाई न्यासी /उत्तराधिकार प्राप्त स्थाई न्यासी / प्रबन्धकारिणी सदस्य स्थायी न्यासी बनने की इच्छा जताई जाती है तो उन्हें वर्ष 2015-16 में संरक्षक बनने के नातेकुल 50000 रू की छूट प्रदान की जायेगी। यदि ऐसे संरक्षक पूरे 2 लाख / 5लाख /11 लाख की धनराशि का सहयोग करते हैं तो उन्हे वर्ष 2015-16 के संरक्षक मंडल में अपने नाम की जगह अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम प्रतिस्थापित करवाने का अधिकार होगा।

(5)(A) **सतत सदस्यता अभियान**:- छात्र सदन एवं अतिथिगृह का निर्माण पूरा हो जाने के बाद भी नियम(4)(a),(b),(c) एवं नियम (5)(a),(b),(c),(d)की सदस्यता संख्या बनाये रखने या उसमें वृद्धि करने के लिए महासंघ द्वारा सतत सदस्यता अभियान चलाया जा सकेगा। महासंघ कार्यकारिणी द्वारा लिखित प्रस्ताव के जरिये नियम(4)(a),(b),(c) एवं नियम (5)(a),(b),(c),(d)की सदस्यता राशि को समयानुसार बढाया जा सकेगा।

(6) **प्रबन्धकारिणी**:- छात्रसदन एवं अतिथिगृह के संचालन, अर्थप्रबन्धन, परिरक्षण, परिवर्धन एवं उचित व्यवस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा। इस प्रबन्धकारिणी का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

Registration Endorsement

आज दिनांक 23/11/2022 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 10 में
पृष्ठ संख्या 57 क्रम संख्या 202203057400212 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 21 के
पृष्ठ संख्या 678 से 689 पर चस्पा किया गया ।

202201057013746

उप पंजीयक, BIKANER-II

Declaration of Trust - where there is disposition of property,- where the trust is made for a religious or charitable purpose

(a) उपरोक्त नियम 4(c) के अधीन प्रबन्धकारिणी सदस्य स्थाई न्यासी इस प्रबन्धकारिणी के स्थाई आजीवन सदस्य होंगे।

(b) उपरोक्त नियम 3 के अधीन गठित न्यास द्वारा कम से कम पाँच और अधिकतम उक्त उपनियम (a) के अधीन बने प्रबन्धकारिणी सदस्य स्थाई न्यासियों की संख्या के बराबर संख्या में प्रबन्धकारिणी सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा जा सकेगा जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(c) श्रीछ:न्याति ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष द्वारा महासमिति सदस्यों में से कम से कम पाँच और अधिकतम उक्त उपनियम (a) के अधीन बने प्रबन्धकारिणी सदस्य स्थाई न्यासियों की संख्या के बराबर संख्या में प्रबन्धकारिणी सदस्यों को नामित (Nominate) किया जा सकेगा जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(d) प्रबंधकारिणी के गठन में उपरोक्त उपनियम (a),(b)एवं(c) के अनुसार प्रबन्धकारिणी के स्थाई सदस्यों, न्यास द्वारा निर्वाचित सदस्यों और महासंघ अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व क्रमश: एक-तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई होगा।

(e) **प्रबन्धकारिणी का अध्यक्ष:-** श्रीछ:न्याति ब्राह्मण महासंघ का निर्वाचित अध्यक्ष ही इस प्रबन्धकारिणी का भी अध्यक्ष होगा।

(f) **प्रबन्धक न्यासी:-** उक्त उपनियम (a),(b)एवं(c) के अनुसार गठित प्रबन्धकारिणी द्वारा अपनी पहली बैठक में ही प्रबन्धकारिणी सदस्यों में सेएक प्रबन्धक न्यासी का चुनाव किया जायेगा जो न्यास प्रबंधकारिणी के महामंत्री के रूप में कार्य करेगा।

(g) **कोष प्रबन्धक न्यासी:-** उक्त उपनियम (a),(b)एवं(c) के अनुसार गठित प्रबन्धकारिणी द्वारा अपनी पहली बैठक में ही प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से एक कोष-प्रबन्धक न्यासी का चुनाव किया जायेगा जो न्यास प्रबंधकारिणी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(h) प्रबन्धक न्यासी और कोष प्रबन्धक न्यासी का कार्यकाल दो-दो वर्ष का होगा।

(7) **न्यासप्रबन्धकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य:-** उपरोक्त नियम 6 के अधीन गठित प्रबन्धकारिणी के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:-

(a) छात्रसदन एवं अतिथिगृह के संचालन, परिरक्षण, परिवर्धन, अर्थप्रबन्धन और सुसंचालन के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।

(b) छात्रसदन एवं अतिथिगृह के संचालन, परिरक्षण, परिवर्धन, अर्थप्रबन्धन और सुसंचालन के लिए आवश्यक नियम बनाना, जो

उप पंजीयक (द्वितीय)
पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर

लिखित में होने अनिवार्य हैं। ऐसे नियम छ:न्याति ब्राह्मण समाज, इस प्रन्यास के न्यासियों, महासंघ पदाधिकारियों और सर्वसमाज के व्यक्तियों हेतु तदनुरूप बनाये जा सकेंगे जिसमें सशुल्क, निशुल्क छूट, अनुदान आदि के प्रावधान भी किये जा सकेंगे।

(c) कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखना। उनके वेतन आदि का भुगतान करना।

(d) खातों का संधारण करना एवं अंकेक्षण के लिए सभी दस्तावेजों सहित महासंघ के कोषाध्यक्ष को सौंपना।

(e) छात्रसदन की सभी सम्पत्तियों का उचित रखरखाव एवं लाभ-हानि का उचित हिसाब रखना तथा प्रतिवर्ष महासंघ कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।

(f) महासंघ में एक प्रकोष्ठ के रूप में स्वायत रूप से काम करना।

(g) छात्रसदन एवं अतिथिगृह के केवल संचालन के दौरान होने वाली आय एवं व्यय का नियंत्रण रखना। वार्षिक रूप से अधिशेष राशि को महासंघ के खाते में अंतरित करना।

(h) न्यास प्रबन्धकारिणी को कोई सार्वजनिक रूप से धनसंग्रह का अधिकार नहीं होगा। सार्वजनिक रूप से धनसंग्रह केवल महासंघ कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। सभी बडी एवं अचल सम्पत्तियों की खरीद महासंघ के कार्यक्षेत्र में होगी।

(i) न्यास प्रबन्धकारिणी द्वारा छात्रसदन एवं अतिथिगृह के संचालन से सम्बन्धी उपभोग वस्तुएँ(consumable items) खरीदने का अधिकार होगा जिसकी अधिकतम सीमा 5.00लाख (पाँच लाख) रूपये प्रति एक वर्ष में होगी। पाँच लाख रूपये से अधिक की खरीद आवश्यक होने पर महासंघ कार्यकारिणी से पुन: पाँच लाख तक की सीमा बढवाई जा सकेगी।

(j) न्यास प्रबन्धकारिणी सदस्य द्वारा महासंघ,प्रन्यास अथवा छ:न्याति ब्रहम्ण समाज के हितों के विपरीत कोई कार्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार महासंघ की अनुशासन समिति को होगा।

(8)बैंक खाता:- आवश्यकतानुसार श्रीछ:न्यातिब्राह्मण छात्रसदन एवं अतिथिगृह प्रबन्धकारिणी द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या रिजर्व बैंक से अधिस्वीकृत बैंक में खाता खुलवाया जा सकेगा। इस खाते का संचालन प्रबन्धकारिणी अध्यक्ष (महासंघ अध्यक्ष), और प्रबन्धक न्यासी

उप पंजीयक (द्वितीय)
पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर

याकोषप्रबन्धक न्यासी द्वाराकिन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा। अर्थात प्रत्येक चैक पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

(9) **सभी स्थाई प्रन्यासियों तथा व्यापक/विशेष/अतिविशेष निर्वाचक मण्डल के सदस्यों कोमान्यता प्रमाणपत्रः**–उपरोक्त नियम 4 के अधीन बनने वाले सभी स्थाई प्रन्यासियों को एक स्थाई प्रमाणपत्र महासंघ अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से जारी किया जायेगा जिसमें उनके अधिकार कर्त्तव्यों का अंकन होगा।इसी प्रकारउपरोक्त नियम 5 के अधीन बनने वाले व्यापक निर्वाचक मण्डल, विशेष निर्वाचक मण्डल एवं अतिविशेष निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को भी महासंघ द्वारा स्थाई प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे जिसमें उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों का अंकन होगा।

(10) **निर्णय प्रक्रियाः**– प्रबन्धकारिणी द्वारा सभी निर्णय सामान्य बहुमत से किये जा सकेंगे। प्रबन्धकारिणी के कुल सदस्यों का सामान्यता एक तिहाई कोरम होगा।

(11) **प्रतिनिधि भेजने का अधिकारः**– प्रबन्धकारिणी एवं न्यास के ऐसे सदस्य जो बीकानेर से बाहर के होंगे, उन्हें प्रबन्धकारिणी बैठकों में अपनी अनुपस्थिति की स्थिति में लिखित में अधिकृत करते हुए अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। यह प्रतिनिधि महासमिति का सदस्य होना अनिवार्य होगा।

(12) **प्रबन्धकारिणी के गठन का दायित्वः**– प्रबन्धकारिणी के निर्वाचित व नामित सदस्यों के समयानुसार निर्वाचन एवं मनोनयन का उत्तरदायित्व महासंघ अध्यक्ष एवं महामंत्री का होगा।

(13) **निर्वाचित होने वाले न्यासियों के निर्वाचन का दायित्वः**– प्रन्यास के लिए निर्वाचित होने वाले न्यासियों के निर्वाचन का उत्तरदायित्व महासंघ अध्यक्ष एवं महामंत्री का होगा जिसके लिए एक निर्वाचन अधिकारी एवं एक उप निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी जो इस नियमावली के अधीन निर्वाचन प्रक्रिया एक महिने की अवधि में सम्पूर्ण करवाने के बाद निर्वाचित न्यासियों की सूची महासंघ अध्यक्ष को सौपेंगे।

उप पंजीयक (द्वितीय)
पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर

(14) **प्रबन्धक न्यासी के अधिकार एवं कर्त्तव्यः**- प्रबन्धक न्यासी द्वारा छात्रसदन एवं अतिथिग्रह के प्रबन्धन, परिरक्षण, परिवर्धन, अर्थप्रबन्धन और सुसंचालन सम्बन्धी सभी कार्य किये जायेंगे। प्रबन्धकारिणी के प्रतिनिधि के रूप में आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। प्रबन्धक न्यासी अध्यक्ष एवं प्रबन्धकारिणी के दिशा निर्देशन में महामंत्री के रूप में कार्य करेगा।

(15) **कोष प्रबन्धक न्यासी के अधिकार एवं कर्त्तव्यः**- कोष प्रबन्धक न्यासी द्वारा छात्र सदन एवं अतिथिग्रह के कोष से सम्बन्धित सभी कार्य किये जायेंगे। वार्षिक रूप से सम्पूर्ण हिसाब महासंघ के कोषाध्यक्ष को दिया जावेगा ताकि वार्षिक अंकेक्षण एवं आयकर विवरणी आदि में कोई परेशानी नहीं हो।

(16) **धन संग्रहः**- छात्रसदन एवं अतिथिगृह प्रन्सास और प्रबन्धकारिणी को सार्वजनिक रूप से धन संग्रह का कोई अधिकार नहीं होगा। आवश्यकता होने पर सार्वजनिक रूप से धन संग्रह का कार्य महासंघ द्वारा किया जायेगा।

(17) **लाभ-हानि का समायोजनः**-छात्रसदन एवं अतिथिगृह के संचालन में लाभ होने की स्थिति में अधिशेष राशि को महासंघ के खाते में प्रतिवर्ष मार्च के अन्तिम सप्ताह में अन्तरित किया जावेगा। हानि की स्थिति में महासंघ द्वारा यह हानि वहन की जायेगी।

(18) **छात्रसदन एवं अतिथिगृह का नामः**-छात्रसदन एवं अतिथिगृह भवन के मुख्य द्वार पर ''श्रीछःन्याति ब्राह्मणब्रहमानंद भनोत छात्रसदन एवं अतिथिगृह, बीकानेर'' नाम लिखवाया जायेगा।

(19) दानदाताओं का नाम महासंघ की कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित प्रारूप में उचित स्थान पर लिखवाया जायेगा।

(20) इस नियमावली में संशोधन का अधिकार महासंघ कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव पर महासंघ महासमिति को होगा। इस नियमावली की व्याख्या सम्बन्धी या प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद होने पर महासंघ कार्यकारिणी का निर्णय ही अंतिम होगा।

उप पंजीयक (द्वितीय)
पंजीयन एवं मुद्राँक, बीकानेर

(21) न्यास प्रबन्धकारिणी या न्यास को इस नियमावली में परिवर्तन या संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(22) इस प्रन्यास के प्रथम दोनो प्रन्यासियों की स्वीकृती निम्न प्रकार है :-

क्रम सं0	नाम एवॅ पिता का नाम	पता	उम्र	हस्ताक्षर
1.	श्री खेताराम तावणिया सपुत्र श्री हिम्मताराम तावणिया	20 गान्धी कालोनी, बीकानेर	72 साल	
2.	श्री पाराशर नारायण शर्मा सपुत्र श्री किशोरी लाल	10 लक्ष्मी विहार कालोनी, बीकानेर	65 साल	

(23) प्रन्यास की सम्पत्ति :- इस प्रन्यास का गठन एवॅ स्थापना रूपये 11,100 (रू0 ग्यारह हजार एक सो) मात्र की सम्पत्ति से किया गया है । यह धनराशि प्रन्यास के कार्यो के प्रयोगार्थ समर्पित है । प्रन्यास के पदाधिकारियों को प्रन्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे वे इस राशि का उपयोग कर सके ।

यह प्रन्यास आज दिनॉक 22.11.2022 निदेशकरण, स्वस्थचित, सविवेक, स्वेच्छा से प्रन्यासियों से विचार विर्मश कर निष्पादित कर दी है और सहमति स्वरूप सभी प्रन्यासियों के हस्ताक्षर कर दिये है, जिसे मानने हेतु समस्त प्रन्यासी व उनसे सम्बधित हित रखने वाले प्रतिबंधित होंगे ।

Drafted by Mo Giridhar Adv.

गवाह सं0 1

डा0 मोहनलाल जाजडा
सुपत्र श्री सत्यनारायण जाजडा
ग्राम उदासर, बीकानेर
आसं0 5980 9400 7191

निष्पादक

(भंवरलाल व्यास)
आस 2845 9886 8249

(खेताराम तावणिया)
आस
3302 2322 7445

(पाराशर नारायण शर्मा)
आस 7592 7735 9314

गवाह सं0 2

जयदयाल पंचारिया सुपुत्र श्री लखुराम पंचारिया, विश्वकर्मा गेट के सामने, बीकानेर
आसं0 6290 9935 2965

उप पंजीयक (द्वितीय)
पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर